रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12042021-226533
CG-MH-E-12042021-226533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943
No. 166]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 23 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/61/2020-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 50 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के मौजूदा एसओआर में क्रू परिवर्तन परिचालनों के मामले में पोत संबंधित प्रभारों के लिए पृथक प्रावधान शामिल किए जाने के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>सं. टीएएमपी/61/2020–सीएचपीटी</u>

चेन्नई पत्तन न्यास —— **आवेदक**

<u>कोरम</u>

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मार्च, 2021 के 16वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से सीएचपीटी के मौजूदा दरमान में क्रू परिवर्तन परिचालनों के संबंध में पोत संबंधित प्रभारों के लिए पृथक प्रावधान शामिल किए जाने के लिए अनुमोदन की माँग करते हुए उसके पत्र सं. ए.ओ(एसओआर)/क्रू चेंज/2020/एफ दिनांक 04 दिसंबर 2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी से उसके दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, सीएचपीटी के लिए संशोधित दरमान तथा कार्यनिष्पादन मानक अनुमोदित करते हुए एक आदेश सं. टीएएमपी/30/2019–सीएचपीटी दिनांक 10 अक्तूबर 2019 पारित किया था।

2.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान और कार्यनिष्पादन मानक राजपत्र सं. 376 द्वारा 30 अक्तूबर 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सीएचपीटी के संशोधित दरमान से संबंधित विस्तृत स्पष्ट आदेश 4 दिसंबर 2019 को राजपत्र सं. 447 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी ने अपने मौजूदा एसओआर में क्रू परिवर्तन परिचालनों के मामले में पोत संबंधित प्रभारों के लिए पृथक प्रावधान शामिल किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04 दिसंबर 2020 द्वारा एक प्रस्ताव दाखिल किया था। सीएचपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–

(i) कोविड–19 महामारी की स्थिति ने पत्तनों में क्रू परिवर्तन पर काफी प्रभाव डाला था और नौवहन महानिदेशालय ने पत्तनों से अनुरोध किया था कि फँसे हुए नाविकों को जलयानों में निःशुल्क जाने/आने की सुविधा प्रदान की जाए।

(ii) मौजूदा दरमान के अनुसार, जलयानों द्वारा किए जाने वाले क्रू परिवर्तन गैर–कार्गो पोत माने जाते हैं। तदनुसार, लंगरगाह पर क्रू परिवर्तन के लिए, खंड 2.1.2, क्र.सं. 2 – पत्तन में प्रवेश करने वाले पोत के अनुसार पत्तन देयताओं में 50 प्रतिशत रियायत विस्तारित की गई है परंतु यह उतराई अथवा कोई कार्गो ले जाने अथवा यात्रियों के लिए नहीं है। बर्थ में क्रू परिवर्तन के लिए, 50 प्रतिशत पत्तन देयताओं के अलावा, एसओआर के अनुसार वास्तविक बर्थ किराया प्रभार संग्रहीत किया गया है।

(iii) चेन्नई पत्तन में जलयानों को सुरक्षात्मक और सुविधाजनक तरीके से क्रू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने और रियायतों के प्रभाव को कम करने के मद्देनजर, चेन्नई पत्तन में क्रू परिवर्तन करने के लिए सीएचपीटी के एसओआर में पृथक प्रावधान शामिल किए जाने के लिए बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया था।

(iv) प्रस्ताव के ब्योरे निम्नलिखित हैं:–

क्र.सं.	गतिविधि	वर्तमान प्रभार	प्रस्तावित प्रभार	द्वारा लाभ प्राप्त	औचित्य
1.	लंगरगाह में क्रू परिवर्तन	गैर–कार्गो पत्तन के रूप में 50 प्रतिशत की पत्तन देयताएं रियायत	दरमान 2.1.2.3 के अनुसार 75 प्रतिशत पत्तन देयताएं रियायत	पोत	लंगरगाह में पोत बंकरिंग के लिए उपलब्ध यही रियायत लंगरगाह में क्रू परिवर्तन किए जाने वाले पोत को विस्तारित की जा रही है।
		लंगरगाह प्रभार कोई प्रभार नहीं			कोई लंगरगाह प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे (जब तक कि उन्हें बर्थों से बाह्य लंगरगाह में स्थानांतरित और पुनः बर्थ नहीं किया जाता है।
2.	बर्थ में क्रू परिवर्तन	गैर–कार्गो पोत के रूप में 50 प्रतिशत की पत्तन देयताएं रियायत	दरमान 2.1.2.2 के अनुसार 50 प्रतिशत पत्तन देयताएं रियायत	पोत	बंकरों को लेने के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों को उपलब्ध यही रियायत बर्थ में क्रू बदलने वाले पोत तक विस्तारित की जा रही है।
		विराम की बर्थ किराया सम्पूर्ण अवधि	6 घंटे तक कोई बर्थ किराया नहीं। सामान्य कार्गो जलयानों अर्थात् एसओआर 2.3.1.4 पर यथा लागू 6 घंटे के सामान्य बर्थ किराये के बाद।		पोत को गैर–कार्गो पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभारों अर्थात् सामान्य कार्गो पोतों की दोगुनी दर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पोतों को लंगरगाह में सुरक्षित क्रू परिवर्तन के लिए पक्षीय मौसम परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

(v) बोर्ड ने अपने बी.आर. सं. 37 दिनांक 25–06–2020 द्वारा इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने और मौजूदा दरमान में परिवर्तन शामिल किए जाने के लिए यह प्रस्ताव टीएएमपी को भेजे जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। सीएचपीटी द्वारा बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि भेजी गई है।

(vi) उपर्युक्त दरों को लागू करने के लिए 08–10–2020 को एक ट्रेड नोटिस जारी किया गया था जिसकी प्रतिलिपि सीएचपीटी द्वारा भेजी गई है। ट्रेड नोटिस से, यह देखा गया है कि सीएचपीटी ने ट्रेड को सूचित किया है कि प्रस्तावित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।

3.2. मौजूदा प्रावधान और प्रस्तावित प्रावधान, सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित, की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:–

एसओआर में संदर्भ	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
अनुसूची 2.1.2 – पत्तन देयताओं में रियायत/छूट क्र.सं. 2 (50 प्रतिशत रियायत)	"पत्तन में प्रवेश करने लेकिन वहां पर उतराई नहीं करने वाले अथवा कोई कार्गो अथवा यात्री नहीं लाने वाले पोत (सिवाय मरम्मत प्रयोजन के लिए अपेक्षित सामग्री), पत्तन में केवल बंकर लेने के लिए प्रवेश करने वाले पोतों सहित"	"पत्तन में प्रवेश करने लेकिन वहां पर उतराई नहीं करने वाले अथवा कोई कार्गो अथवा यात्री नहीं लाने वाले पोत (सिवाय मरम्मत प्रयोजन के लिए अपेक्षित सामग्री), पत्तन में केवल बंकर लेने **और/अथवा क्रू परिवर्तन** के लिए प्रवेश करने वाले पोतों सहित"
अनुसूची 2.1.2 – पत्तन देयताओं में रियायत/छूट क्र.सं. 3 (75 प्रतिशत रियायत)	"लंगरगाह में बंकरिंग के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले लेकिन संलग्न हारबर में प्रवेश नहीं करने वाले पोत" (75 प्रतिशत रियायत)	"लंगरगाह में बंकरिंग **और/अथवा क्रू परिवर्तन** के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले लेकिन संलग्न हारबर में प्रवेश नहीं करने वाले पोत"
अनुसूची 2.3.1 – बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची क्र.सं. 4	"सामान्य कार्गो पोत, बंकरिंग पोत तथा सरकारी अनुसंधान पोत"	"अन्य सामान्य कार्गो पोत, सरकारी अनुसंधान पोत, **बंकरों और/अथवा क्रू परिवर्तन के लिए पोत"**
अनुसूची 2.3.1 के अधीन नई टिप्पणी	-- (नई टिप्पणी के रूप में शामिल किया जाएगा, क्र.सं. 8, अनुसूची 2.3 बर्थ किराया प्रभार के अधीन)	"(8) बर्थ में क्रू परिवर्तन करने के आशय वाले पोतों को बर्थ में 6 घंटे विराम की निःशुल्क अवधि स्वीकृत की जाएगी और समाप्ति के बाद, अनुसूची 2.3.1 के क्र.सं. 4 के अनुसार लागू प्रभार संपूर्ण अवधि के लिए वसूल किया जाएगा।"

3.3. सीएचपीटी ने यह भी कहा है कि 01–03–2020 से 15–10–2020 तक की अवधि के दौरान, चेन्नई पत्तन ने क्रू परिवर्तन के लिए केवल 8 पोत प्रहस्तित किए थे और पोतों को गैर–कार्गो पोत मानते हुए रु. 38.81 लाख के पोत संबंधित प्रभार अर्जित किए थे। चूंकि पत्तन का प्रस्ताव क्रू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए पत्तन देयताओं और बर्थ किराया प्रभारों में अतिरिक्त रियायत देने के लिए है, इसलिए पत्तन ने बताया है कि एसओआर में उपर्युक्त संशोधनों के कारण पत्तन को कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा।

3.4. तदनुसार, सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि चेन्नई पत्तन में क्रू परिवर्तन परिचालनों के लिए पृथक प्रावधान शामिल किए जाने के लिए मौजूदा एसओआर में संशोधन करने के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाए।

4.1. प्रस्ताव की पावती भेजते समय, हमारे ईमेल पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा सीएचपीटी से वह पत्र उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था जहाँ नौवहन निदेशालय ने पत्तनों से अनुरोध किया था कि फंसे हुए नाविकों को जलयानों को में निःशुल्क आने/जाने की सुविधा प्रदान की जाए।

4.2. इस संबंध में, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी 2021 द्वारा संप्रेषित किया था कि बाह्य लंगरगाह में क्रू बदलने के बारे में 11 मई 2020 को माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस बैठक में चर्चा की गई थी।

5. इस बीच, निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीएचपीटी प्रस्ताव की प्रति हमारे पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। किसी भी उपयोक्ता ने आदेश पारित किए जाने तक प्रतिसाद नहीं दिया था।

6. कोविड–19 प्रकोप के मद्देनजर और वर्चुअल बैठक आयोजित करने के संबंध में तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के पत्र सं. 11053/30/2020–सामान्य दिनांक 16 अप्रैल 2020 के अनुसरण में, संदर्भित मामले में संयुक्त सुनवाई 20 जनवरी 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया था। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी और उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन रखे थे।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार उन्हें अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:–

(i) वर्तमान में, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) की लंगरगाह में क्रू बदलने वाले जलयानों को गैर–कार्गो पोत माना जाता है और पत्तन देयताओं का 50 प्रतिशत वसूल किया जाता है। यदि बर्थ में क्रू बदला जाता है तो सीएचपीटी द्वारा 50 प्रतिशत पत्तन देयताएं और

वास्तविक बर्थ किराया प्रभार वसूल किए जाते हैं। कोविड–19 महामारी का पत्तनों में क्रू परिवर्तन पर भारी प्रभाव पड़ा था। सीएचपीटी में आने वाले जलयानों को राहत प्रदान करने के लिए, सीएचपीटी ने केवल क्रू परिवर्तन परिचालनों के लिए सीएचपीटी में आने वाले पोतों को पत्तन देयताओं तथा बर्थ किराये में रियायत देने का निर्णय लिया था। इस प्रकार, पत्तन के प्रस्ताव में सीएचपीटी के मौजूदा एसओआर में क्रू परिवर्तन परिचालनों में लगे पोतों के मामले में पत्तन देयताओं और बर्थ किराया प्रभारों की वसूली के लिए पृथक प्रावधानों को शामिल किए जाने का अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए है। पत्तन के प्रस्ताव को सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ii) पत्तन द्वारा यह प्रस्ताव इस तरह से तैयार किया गया है कि लंगरगाह में बंकरिंग करने वाले पोतों अथवा बंकर लेने के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों को यथा उपलब्ध यह रियायत लंगरगाह/बर्थ में क्रू बदलने वाले पोतों तक विस्तारित किया जा रहा है।

इस प्रकार, गैर–कार्गो पोतों पर वसूली–योग्य रूप में 0.3498 अ.डा. प्रति जीआरटी प्रति प्रवेश में से, पत्तन देयताओं में 75 प्रतिशत रियायत क्रू परिवर्तन परिचालनों के लिए लंगरगाह में प्रवेश करने वाले पोतों के लिए परिकल्पित किया गया है लेकिन संलग्न हारबर में प्रवेश करने वालों के लिए नहीं और पत्तन देयताओं में 50 प्रतिशत रियायत क्रू परिवर्तन परिचालनों के लिए ही पत्तन में बर्थिंग करने वाले पोतों के लिए परिकल्पित किया गया है।

इसके अलावा, न्यूनतम 688.12 प्रति पोत के अधीन 0.0099 प्रति जीआरटी प्रति घंटा के गैर–कार्गो पोतों पर प्रभारित मौजूदा बर्थ किराया प्रभारों के विरूद्ध, सीएचपीटी ने सिर्फ क्रू परिवर्तन परिचालनों के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों पर 0.0045 प्रति जीआरटी प्रति घंटा की दर से बर्थ किराया प्रभारों की वसूली का प्रस्ताव किया था। बर्थ में क्रू परिवर्तन करने के आशय से आने वाले पोतों को बर्थ में 6 घंटे विराम की निःशुल्क अवधि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है और यह केवल 6 घंटे की समाप्ति के बाद है कि ऊपर यथा निर्दिष्ट बर्थ किराया प्रभार सम्पूर्ण अवधि के लिए वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) उपयोक्ताओं जैसे तमिल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (टीसीसी) और चेन्नई एंड एन्नोर पोटर्स स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (सीएचईएनएसएए) ने सीएचपीटी के प्रस्ताव का स्वागत किया था और पत्तन के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था।

(iv) पत्तन का प्रस्ताव नौवहन निदेशालय द्वारा सीएचपीटी को किए गए अनुरोध के आधार पर सिर्फ क्रू परिवर्तन परिचालनों में लगे पोतों पर पत्तन देयताओं तथा बर्थ किराया प्रभारों की वसूली में रियायतें प्रदान करने के लिए है। उपयोक्ताओं ने सीएचपीटी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव को सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

(v) चूंकि यह प्रस्ताव क्रू बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए पत्तन देयताओं तथा बर्थ किराया प्रभारों में अतिरिक्त रियायत प्रदान किए जाने के लिए है, इसलिए एसओआर में उपर्युक्त संशोधनों के कारण पत्तन को कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं मिलेगा। इस संबंध में, अक्तूबर 2019 में पारित सीएचपीटी के सामान्य संशोधन आदेश में, पत्तन द्वारा रु. 30.32 करोड़ का राजस्व अंतर अनाच्छादित छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, अन्यथा भी, यदि ऐसे और पोतों के प्रहस्तन के कारण पत्तन को कोई अतिरिक्त राजस्व अर्जित नहीं होता है तो उक्त आय को राजस्व अंतर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(vi) इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतः राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद भावी प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि तत्संबंधी प्रशुल्क आदेशों में अन्यथा भिन्न व्यवस्था विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो। आपवादिक मामलों में, दर्ज किए जाने वाले कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है।

सीएचपीटी द्वारा किए गए निवेदनों से, यह देखा गया है कि सीएचपीटी 04 दिसंबर 2020 को अपना प्रस्ताव दाखिल करने से बहुत पहले 08 अक्तूबर 2020 से रियायत प्रावधान वसूल करना पहले ही शुरू कर चुका है। इस प्रकार, सीएचपीटी ने 08 अक्तूबर 2020 से अपने दरमान में रियायती प्रावधान को शामिल किए जाने के लिए अनुमोदन की मांग की है। कार्य दिशानिर्देशों का खंड 5.7.2 नई सुविधा अथवा नई सेवा के उपयोग के लिए दर की अधिसूचना हेतु और समानान्तरतः तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों की वसूली के लिए प्रस्ताव दाखिल करने हेतु है।

पत्तन का प्रस्ताव सिर्फ क्रू परिवर्तन परिचालनों में लगे पोतों पर पत्तन देयताओं तथा बर्थ किराया प्रभारों की वसूली में रियायतें प्रदान करने के लिए है। इस स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण सिर्फ क्रू परिवर्तन परिचालनों में लगे पोतों पर रियायती पोत संबंधित प्रभारों की 08 अक्तूबर 2020 से पूर्वव्यापी वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

9.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के दरमान के मौजूदा प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान करता हैः–

एसओआर में संदर्भ	संशोधित प्रावधान
अनुसूची 2.1.2 – पत्तन देयताओं में रियायत/छूट, क्र.सं. 2	"पत्तन में प्रवेश करने लेकिन वहां पर उतराई नहीं करने वाले अथवा कोई कार्गो अथवा यात्री नहीं लाने वाले पोत (सिवाय मरम्मत प्रयोजन के लिए अपेक्षित सामग्री), पत्तन में केवल बंकर लेने **और/अथवा क्रू परिवर्तन** के लिए प्रवेश करने वाले पोतों सहित"

अनुसूची 2.1.2 – पत्तन देयताओं में रियायत/छूट, क्र.सं. 3	"लंगरगाह में बंकरिंग **और/अथवा क्रू परिवर्तन** के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले लेकिन संलग्न हारबर में प्रवेश नहीं करने वाले पोत"
अनुसूची 2.3.1 – बर्थ किराया प्रभारों की अनुसूची, क्र.सं. 4	"सामान्य कार्गो पोत, सरकारी अनुसंधान पोत, **बंकरों और/अथवा क्रू परिवर्तन के लिए पोत"**
अनुसूची 2.3.1 – बर्थ किराया प्रभार के अधीन क्र.सं. 8 के रूप में नई टिप्पणी	"(8) बर्थ में क्रू परिवर्तन करने के आशय वाले पोतों को बर्थ में 6 घंटे विराम की निःशुल्क अवधि स्वीकृत की जाएगी और समाप्ति के बाद, अनुसूची 2.3.1 के क्र.सं. 4 के अनुसार लागू प्रभार संपूर्ण अवधि के लिए वसूल किया जाएगा।"

9.2. सीएचपीटी को उसके दरमान में उपर्युक्त प्रावधान उपयुक्ततः शामिल किए जाने का निदेश देता है।

9.3. उक्त संशोधन 08 अक्तूबर 2020 से लागू माने जाएंगे और इसकी वैधता सीएचपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता तक बनी रहेगी।

टी. एस. बाल सुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./30/2021-22]

Tariff Authority for Major Ports

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2021

No. TAMP/61/2020-CDHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Port Trust (CHPT) seeking approval for incorporation of separate provisions for vessel related charges in respect of crew change operations in the existing SOR of CHPT, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/61/2020-CHPT

The Chennai Port Trust --- **Applicant**

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(**Passed on this 16th day of March, 2021)**

This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) vide its letter No. A.O(SOR)/Crew change/2020/F dated 04 December 2020 seeking approval for incorporation of separate provisions for vessel related charges in respect of crew change operations in the existing Scale of Rates of CHPT.

2.1. This Authority has passed an Order No. TAMP/30/2019-CHPT dated 10 October 2019, approving the revised Scale of Rates and Performance Standards for CHPT, based on the proposal received from the CHPT for general revision of its Scale of Rates (SOR).

2.2. The revised Scale of Rates and Performance Standards approved by this Authority was notified in the Gazette of India on 30 October 2019 vide Gazette No. 376. The detailed speaking Order pertaining to the revised Scale of Rates of CHPT has been notified in the Gazette of India on 4 December 2019 vide Gazette No. 447.

3.1 In this backdrop, the CHPT vide its letter dated 04 December 2020 has filed a proposal seeking approval for incorporation of separate provisions for vessel related charges in respect of crew change operations in its existing SOR. The main points made by CHPT are as follows:

(i) COVID-19 pandemic situation created severe impact on crew change at the Ports and D.G. Shipping requested the Ports to facilitate stranded seafarers to sign in/ sign off free of charge to the ships.

(ii) As per existing Scale of Rates, the Ships carrying out crew change are treated as Non-cargo vessels. Accordingly, for crew change at anchorage, 50% concession in Port dues is extended as per clause 2.1.2, Sl. No.2 – Vessels entering the port but does not discharge or take in any cargo or passengers. For crew change at berth, in addition to 50% Port dues, actual berth hire charge as per SOR is collected.

(iii) In order to facilitate ships to carry out crew change safely and conveniently at Chennai Port and with a view to minimize the impact of concessions, a proposal was submitted to the Board to include separate provisions in the SOR of CHPT for carrying out crew change at Chennai Port.

(iv) The details of the proposal are as follows:

Sl. No.	Activity	Current charges	Proposed charges	Benefitted by	Justification
1.	Crew change at Anchorage	Port Dues Concession of 50% as Non-cargo vessel	Port Dues Concession 75% as per SoR 2.1.2.3	vessel	The same concession available to vessels bunkering at anchorage is being extended to the vessel carrying out crew change at anchorage.
		Anchorage charges No charges			No anchorage charges will be levied (until unless they are shifted from berths to Outer Anchorage and re-berthed)
2.	Crew change at Berth	Port dues concession of 50% as Non-cargo vessel	Port Dues concession 50% as per SoR 2.1.2.2.	vessel	The same concession available to vessels entering the port to take bunkers is being extended to the vessel carrying out crew change at berth.
		Berth Hire entire period of stay	No Berth Hire upto 6 hours. Beyond 6 Hrs. normal Berth hire as applicable to general cargo ships, i.e. SoR 2.3.1.4		Vessel need not have to pay the Berth Hire charges for Non-cargo vessels, i.e. double the rate of normal cargo vessels. Vessels need not to wait for favourable weather conditions to carry out safe crew change at anchorage.

(v) Board vide its B.R.No. 37 dated 25.6.2020 has approved to implement the proposal with immediate effect and send the proposal to TAMP for incorporating changes in the existing Scale of Rates. A copy of the Board Resolution is furnished by CHPT.

(vi) A Trade Notice has been issued on 08.10.2020 for implementing the above rates, a copy of which is furnished by CHPT. From the Trade Notice, it is seen that the CHPT has conveyed to the Trade that the proposed provisions will be applied with immediate effect.

3.2. A comparative position of the existing provision and the proposed provision, as furnished by CHPT is given below:

Reference in SoR	Existing Provision	Proposed Provision
Schedule 2.1.2 – Concession / Exemption in Port dues Sl. No.2 (50% concession)	"Vessels entering the port but does not discharge or take in any cargo or passengers therein (except materials required for repair purpose), including vessels entering the port only to take bunkers"	"Vessels entering the port but does not discharge or take in any cargo or passengers therein (except materials required for repair purpose), including vessels entering the port only to take bunkers **and / or crew change**"
Schedule 2.1.2 – Concession / Exemption in Port dues Sl. No.3 (75% concession)	"Vessels entering the port for bunkering at Anchorage but does not enter into Enclosed Harbour" (75% concession)	"Vessels entering the port for bunkering **and / or crew change** at Anchorage but does not enter into Enclosed Harbour"
Schedule 2.3.1 – Schedule of Berth	"General cargo vessels, Bunkering vessels and Govt. Research vessels"	"Other General cargo vessels, Govt. Research vessel, **vessels for bunkers and / or crew**

Hire Charges, Sl. No.4		**change**"
New note under Schedule 2.3.1	-- (To be included as a new Note, Sl. No.8, under Schedule 2.3 Berth Hire Charges	"(8) Vessels intending to carry out Crew Change at Berth will be allowed a free period of 6 hours stay at Berth and after the expiry, applicable charges as per Sl. No.4, of Schedule 2.3.1 will be levied for the entire period."

3.3. The CHPT has further stated that during the period from 01.03.2020 to 15.10.2020, Chennai Port has handled only 8 vessels for crew change and has earned vessel related charges of ₹ 38.81 lakhs by treating the vessels as Non-cargo vessels. As the proposal of the Port is to extend additional concession in Port dues and Berth hire charges to facilitate crew change, the port has stated that there will not be any additional revenue to the Port on account of the above amendments in the SoR.

3.4. Accordingly, the CHPT has requested this Authority to process the proposal of CHPT to amend in the existing SOR to include separate provisions for crew change operations at Chennai Port.

4.1. While acknowledging the proposal, the CHPT was requested vide our e-mail dated 17 December 2020 to provide a copy of a letter where the D.G. Shipping has requested the ports to facilitate stranded seafarers to sign in / sign off free of charge to the ships.

4.2. In this regard, the CHPT vide its letter dated 16 January 2021 has conveyed that the change of crew at Outer Anchorage was discussed in a Video Conference Meeting held by the Hon'ble Minister of Shipping on 11 May 2020.

5. In the meanwhile, in accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CHPT proposal was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 17 December 2020 seeking their comments. None of the users have responded till the order is passed.

6. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 20 January 2020 through Video Conferencing. The CHPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the CHPT and the users have made their submissions.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i) At present, the Ships engaged in crew change at anchorage of Chennai Port Trust (CHPT) are treated as Non-cargo vessels and charged 50% of port dues. If crew change takes place at berth, 50% port dues and actual berth hire charges are levied by CHPT. COVID-19 pandemic has created severe impact on crew change at ports. In order to give relief to the ships visiting CHPT, the CHPT has decided to give concessions in port dues and berth hire to the vessels visiting CHPT exclusively for crew change operations. Thus, the proposal of the Port seeks approval for incorporation of separate provisions for levy of port dues and berth hire charges in respect of vessels engaged in crew change operations in the existing SOR of CHPT. The proposal of the Port has the approval of the Board of Trustees of CHPT.

(ii) The proposal has been formulated by the port in such a manner that the same concession as available to vessels bunkering at anchorage or to vessels entering the port to take bunkers is being extended to the vessel carrying out crew change at anchorage/ berth.

Thus, as against the Port Dues of USD 0.3498 per GRT per entry as leviable on Non-Cargo Vessels, a 75% concession in port dues is envisaged for vessels entering the Anchorage for crew change operations but not entering into enclosed Harbour and a 50% concession in port dues is envisaged for vessels berthing at the port exclusively for crew change operations.

Further, as against the existing berth hire charges levied on Non-Cargo Vessels of USD 0.0099 per GRT per hour subject to a minimum of USD 688.12 per vessel, the CHPT has proposed levy of berth hire charges at USD 0.0045 per GRT per hour on Vessels entering the port exclusively for crew change operations. Also, the vessels intending to carry out Crew Change at Berth is proposed to be allowed a free period of 6 hours stay at Berth and it is only after the expiry of 6 hours that the berth hire charges as indicated above is proposed to be levied for the entire period.

(iii) The users like Tamil Chamber of Commerce (TCC) and Chennai & Ennore Ports Steamer Agent's Association (CHENSAA) have welcomed the proposal of CHPT and have extended their support to the proposal of the Port.

(iv) The proposal of the port is to extend concessions in the levy of port dues and berth hire charges on the Vessels engaged exclusively in the Crew change operations based on the request made by DG Shipping to CHPT. The users have supported the proposal of CHPT. Also, the proposal has the approval of the Board of Trustees of CHPT. In view of the above position, this Authority is inclined to approve the proposal of the Port.

(v) Since the proposal is to extend additional concession in Port dues and Berth hire charges to facilitate crew change, there may not be any additional revenue to the Port on account of the above referred amendments in the SOR. In this regard, it is to state that in the general revision Order of CHPT passed in October 2019, a revenue gap of ` 30.32 crores has been left uncovered by the Port. Thus, even otherwise, if the port earns any additional income due to handling of more such vessels, the said income may get subsumed in the revenue gap.

(vi) Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reasons to be recorded.

From the submissions made by CHPT, it is noticed that the CHPT has already started levying the concessional provisions with effect from 08 October 2020, much prior to filing its proposal on 04 December 2020. Thus, the CHPT has sought approval for incorporation of the concessional provisions in its Scale of Rates with effect from 08 October 2020. Clause 5.7.2 of the working guidelines provides for filing of the proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service and levy of proposed rates on adhoc manner simultaneously.

The proposal of the port is to extend concessions in the levy of port dues and berth hire charges on the Vessels engaged exclusively in the Crew change operations. In view of this position, this Authority grants approval for retrospective levy of concessional vessel related charges on the Vessels engaged exclusively in the Crew change operations, with effect from 08 October 2020.

9.1. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority makes the following amendments in the existing provisions of the Scale of Rates of CHPT.

Reference in SoR	Amended Provision
Schedule 2.1.2 – Concession / Exemption in Port dues , Sl. No.2	"Vessels entering the port but does not discharge or take in any cargo or passengers therein (except materials required for repair purpose), including vessels entering the port only to take bunkers **and/ or crew change**"
Schedule 2.1.2 – Concession / Exemption in Port dues, Sl. No.3	"Vessels entering the port for bunkering **and/ or crew change** at Anchorage but does not enter into Enclosed Harbour"
Schedule 2.3.1 – Schedule of Berth Hire Charges, Sl. No.4	"General cargo vessels, Govt. Research vessel, **vessels for bunkers and / or crew change**"
New note as Sl. No.8 under Schedule 2.3.1 -Berth Hire Charges	"(8) Vessels intending to carry out Crew Change at Berth will be allowed a free period of 6 hours stay at Berth and after the expiry, applicable charges as per Sl. No.4, of Schedule 2.3.1 will be levied for the entire period."

9.2 The CHPT is directed to suitably incorporate the above provisions in its Scale of Rates.

9.3. The said amendments shall be deemed to have come into effect from 08 October 2020 and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of CHPT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./30/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.12 22:56:22 +05'30'